

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा-2024 के लिए आवश्यक निर्देश

1. विवरणिका के इस भाग में वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2024 का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें, जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए हैं, दी गई हैं।
2. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए निर्धारित अवधि एक वर्ष है।
3. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए परीक्षा योजना आदि संबंधित विनियमों में दिए गए अनुसार होगी।
4. विषयों के शिक्षण हेतु निर्धारित साप्ताहिक कालांश :

क्र.सं.	विषय	कालांश 48
अनिवार्य		
(i)	हिन्दी	6
(ii)	अंग्रेजी	6
(iii)	आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2	3
(iv)	समाज सेवा योजना (नियमित विद्यार्थियों के लिए) उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्णोपरान्त ग्रीष्मावकाश में।	

ऐच्छिक विषय 33

प्रथम-11, द्वितीय-11, तृतीय-11

(प्रयोगात्मक कार्य वाले विषयों में 7 कालांश सैद्धान्तिक एवं 4 कालांश प्रायोगिक के)

5. **मुख्य ऐच्छिक विषय :**

(i)	संस्कृत वाङ्मय (अनिवार्य)	11
(ii)	वेद, दर्शन एवं शास्त्र वर्ग में प्रस्तावित विषयों में से एक विषय	11

6. **ऐं विषय :** आधुनिक विषयों में से एक 11

7. **नैतिक शिक्षा :** प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।

8. **पुस्तकालय :** पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश/ मध्य अन्तराल में।

9. **शारीरिक शिक्षा :** शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियां विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित।

टिप्पणी :- उच्च माध्यमिक परीक्षा/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा (कक्षा 12) में अध्ययनरत विद्यार्थियों जिन्होंने कक्षा-11 नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ग्रीष्मावकाश में समाज सेवा योजना शिविर में भाग लिया है, उन विद्यार्थियों की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा-12 की अंकतालिका/प्रमाणपत्र में किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) से जुड़े विद्यार्थी समाज सेवा योजना शिविर से मुक्त रहेंगे तथा इन विद्यार्थियों की अंकतालिका/ प्रमाणपत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) में भाग लिया, का अंकन किया जायेगा।

संस्कृत परीक्षाएं – बोर्ड विनियम : अध्याय-20 (क)

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, संस्कृत की निम्नलिखित परीक्षाएँ आयोजित करेगा—
(क) प्रवेशिका (ख) वरिष्ठ उपाध्याय
2. स्वयंपाठी अभ्यर्थी के अतिरिक्त परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उस परीक्षा में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि तक उस के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेना होगा और उस संस्था में उसे नियमित रूप से सत्रांत तक अध्ययन करना होगा।
3. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा :-
वर्ग - 1 : अनिवार्य विषय (विषय कोड सहित)
1. हिन्दी (01), 2. अंग्रेजी (02), 3. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 (79),
4. समाज सेवा योजना (78), (नियमित विद्यार्थियों के लिए)

वर्ग – 2 : अनिवार्य वैकल्पिक विषय :

1. संस्कृत वाङ्मय (94)

वैकल्पिक विषय – निम्नलिखित वर्ग (अ, ब, स) में से कोई एक विषय –

(अ) वेद वर्ग :

1. ऋग्वेद (44), 2. शुक्ल यजुर्वेद (45),
3. कृष्ण यजुर्वेद (46), 4. सामवेद (47), 5. अथर्ववेद (48)

(ब) दर्शन वर्ग :

6. न्याय दर्शन (49), 7. वेदान्त दर्शन (50),
8. मीमांसा दर्शन (51), 9. जैन दर्शन (52), 10. निम्बार्क दर्शन (53),
11. वल्लभ दर्शन (54), 12. रामानन्द दर्शन (57), 13. सामान्य दर्शन (55)

(स) शास्त्र वर्ग :

14. व्याकरण शास्त्र (86), 15. साहित्य शास्त्र (87),
16. पुराणेतिहास (88), 17. धर्मशास्त्र (89),
18. ज्योतिष शास्त्र (90), 19. सामुद्रिक शास्त्र (91),
20. वास्तुविज्ञान (92), 21. पौरुहित्य शास्त्र (93)

वर्ग – 3 : वैकल्पिक विषय : (निम्नलिखित में से कोई एक)

इन विषयों का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, अंक योजना एवं विषय कोड उच्च माध्यमिक परीक्षा के समान होंगे।

- | | |
|--|--|
| 1. हिन्दी साहित्य (21) | 2. अंग्रेजी साहित्य (20) |
| 3. इतिहास (13) | 4. राजनीति विज्ञान(11) |
| 5. अर्थशास्त्र (10) | 6. समाज शास्त्र (29) |
| 7. गृह विज्ञान (18) | 8. चित्रकला (17) |
| 9. भूगोल (14) | 10. कम्प्यूटरविज्ञान (03),/इन्फोमेटिक्स प्रेक्टिसेज (04) |
| 11. मनोविज्ञान (19) | 12. शारीरिक शिक्षा (60) |
| 13. लोक प्रशासन (06) | 14. पर्यावरण विज्ञान (61) |
| 15. सामान्य विज्ञान (56) | 16. गणित (15) |
| 17. हिन्दी शीघ्रलिपि हिन्दीटंकण लिपि (32 व 34) | |
| 18. अंग्रेजी शीघ्रलिपि एवं अंग्रेजी टंकण लिपि(33 व 35) | |
| 19. टंकणलिपि हिन्दी व अंग्रेजी (34 व 35) | |

4. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में निम्न निर्दिष्ट परीक्षात्तीर्ण प्रवेश के योग्य होंगे, यदि नीचे लिखे प्रावधानों में अंकित परीक्षाये उत्तीर्ण किये हुए हैं – जिन्हें एक वर्ष व्यतीत हो चुका हो अर्थात् परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के आगामी वर्ष के पश्चात् ही यह परीक्षा में बैठ सकेंगे।

क. राजस्थान शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की प्रवेशिका परीक्षा अंग्रेजी सहित उत्तीर्ण अथवा बोर्ड उसके समकक्ष मान्य परीक्षा (अंग्रेजी विषय एवं प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत सहित उत्तीर्ण)

ख. वैकल्पिक संस्कृत विषय लेकर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा अथवा उच्च परीक्षा अथवा उसके समकक्ष बोर्ड द्वारा मान्य परीक्षा। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रवेश के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्य होगा।

ग. वरिष्ठ उपाध्याय या उसके समकक्ष संस्कृत परीक्षात्तीर्ण अभ्यर्थी बाद के किसी वर्ष में स्वयंपाठी/नियमित अभ्यर्थी के रूप में वर्ग-2 अथवा वर्ग- 3 के विषय/विषयों में वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा दे सकता है, जिसमें /जिनमें वह पहले उत्तीर्ण नहीं हुआ है। परन्तु यदि किसी विषय/विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है तो स्वयंपाठी छात्र को संबंधित स्कूल के प्रधान का यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए निर्धारित प्रायोगिक कार्य को उस में पूरा कर लिया है।

घ. जो इस बोर्ड की वरिष्ठ उपाध्याय में अथवा विधि सम्मत विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तर मध्यमा अथवा प्रथम वर्ष शास्त्री परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हों, परन्तु ऐसे छात्रों के लिए प्रवेशिका स्तर की मान्य परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

ड. वरिष्ठ उपाध्याय के वर्ग-2 मुख्य अनिवार्य वैकल्पिक विषय के एवं अन्य ऐच्छिक अन्तर्गत सभी विषयों का उत्तर का माध्यम संस्कृत रहेगा। वर्ग-3 के अन्तर्गत अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर सभी वैकल्पिक विषयों के उत्तर का माध्यम हिन्दी रहेगा, किन्तु अंग्रेजी साहित्य के उत्तर का माध्यम अंग्रेजी होगा।

च. वरिष्ठ उपाध्याय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग-II को अतिरिक्त विषय के रूप में लिया जा सकेगा। इस विषय के पाठ्यक्रम का अवलोकन उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इसी विवरणिका में करें।

टिप्पणी :-

1. सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक विद्यालय द्वारा बोर्ड को विषयवार प्रेषित किए जाएंगे।
2. ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक परीक्षा का आयोजन होता है और प्रायोगिक कार्य नहीं किया जाता उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20 % होंगे जिसके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10 % अंक होंगे, 5 % प्रोजेक्ट कार्य, 5 % उपस्थिति एवं व्यवहार के होंगे। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये सत्रांक हेतु विषयवार प्राप्तांक को पूर्णांकों के अनुपात में जोड़ा जायेगा।
 - (i) 3 % अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नियमानुसार दिये जा सकेंगे :-
75 % से 80 % तक उपस्थित होने पर 1 %
81 % से 85 % तक उपस्थित होने पर 2 %
 - (ii) 2 % अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे।
 - (iii) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।
 - (iv) सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।
 - (v) विषयवार सम्भावित प्रोजेक्ट की सूची विवरणिका के अन्त में है।
3. संगीत एवं चित्रकला के अतिरिक्त ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक 20 % होंगे जिसके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10 % अंक होंगे। शेष अंक प्रोजेक्ट कार्य, उपस्थिति एवं व्यवहार में निम्नानुसार विभाजित होंगे।
 - (i) 3 अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नियमानुसार दिये जा सकेंगे :-
75 % से 80 % तक उपस्थित होने पर 1 अंक
81 % से 85 % तक उपस्थित होने पर 2 अंक
86 % से 100 % तक उपस्थित होने पर 3 अंक
 - (ii) 3 अंक प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित होंगे।
 - (iii) 1 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे।
 - (iv) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।

संगीत और चित्रकला विषयों में सत्रांक विभाजन निम्नानुसार होगा –

लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20 % होंगे जिसके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के 10 % अंक होंगे। शेष अंक उपस्थिति एवं व्यवहार में निम्नानुसार देय होंगे –

1.5 अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नियमानुसार दिये जा सकेंगे :-

75 % से 80 % तक उपस्थित होने पर 0.5 अंक 81 % से 85 % तक उपस्थित होने पर 1.0 अंक 86 % से 100 % तक उपस्थित होने पर 1.5 अंक

1.5 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे। उक्त दोनों विषयों में क्रियात्मक कार्य पर्याप्त मात्रा में होने के कारण प्रोजेक्ट के अंक देय नहीं होंगे।

5. सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।
6. क्रम संख्या 17,18 एवं 19 पर उल्लेखित विषयों के पत्र में दो खण्ड होंगे, जिसमें शीघ्रलिपि के सन्दर्भ में खण्ड अ संकेतलिपि से तथा खण्ड ब संकेतलिपि के अनुवाद को टंकण यंत्र अथवा कम्प्यूटर पर टाइप किये जाने से सम्बन्धित होगा। टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी के सन्दर्भ में खण्ड अ हिन्दी और खण्ड ब अंग्रेजी टंकण से सम्बन्धित होगा। विद्यार्थी को खण्ड अ और खण्ड ब दोनों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
7. **अतिरिक्त वैकल्पिक विषय –**
 - (i) वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थी तीन वैकल्पिक विषयों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग-II अतिरिक्त विषय के रूप में चुन सकेंगे।
 - (ii) अतिरिक्त विषय के लिए नियमानुसार परीक्षा शुल्क प्रति विषय अतिरिक्त देय होगा।
8. श्रेणी-1 (Cat-I) में प्रविष्ट होने वाले नियमित परीक्षार्थियों के लिए समाजोपयोगी योजनाएँ विषय की परीक्षा अनिवार्य रहेगी। शेष सभी श्रेणी (Cat) एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी इस विषय की परीक्षा से मुक्त रहेगे।
9. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जायेगी और प्राप्तांकों को बोर्ड कार्यालय में भिजवाया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत निर्धारित है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में 33 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किये हो तो उन्हें विद्यालय स्तर पर पुनः अवसर देय होगा।

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2024 के लिए विषयवार अंकयोजना/परीक्षा योजना

विषय (कोड संख्या)	प्रश्न पत्र	समय (घंटे)	सत्रांक विवरण						पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णा
			प्रश्न	स्थानीय	प्रोजेक्ट	उपस्थिति	व्यवहार	कुल		
वर्ग 1. अनिवार्य विषय										
1. हिन्दी(01)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
2. अंग्रेजी(02)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
3. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 (79)	सैद्धान्तिक	3:15	80		20			20	100	33
4. समाज सेवा योजना (78)				विवरणिका में दिये निर्देशानुसार						
वर्ग 2 अनिवार्य वैकल्पिक										
1. संस्कृत वाङ्मय (94)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
(अ)वेदवर्ग (ऐच्छिक)										
निम्नलिखित वर्ग (अ, ब, स) में से कोई एक विषय –										
1-ऋग्वेद:(44)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	1	14	70	33
	प्रायोगिक		—	—	—	—	—		30	33
2-यजुर्वेद: (45)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	1	14	70	33
	प्रायोगिक		—	—	—	—	—		30	33
3.कृष्णयजुर्वेद:(46)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	1	14	70	33
	प्रायोगिक		—	—	—	—	—		30	33
4.सामवेद:(47)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	1	14	70	33
	प्रायोगिक		—	—	—	—	—		30	33
5.अथर्ववेद: (48)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	1	14	70	33
	प्रायोगिक		—	—	—	—	—		30	33
(ब)दर्शनवर्ग (ऐच्छिक)										
6. न्यायदर्शनम् (49)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
7.वेदान्त दर्शनम् (50)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
8.मीमांसादर्शनम्(51)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
9.जैनदर्शनम् (52)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
10.निम्बार्कदर्शनम् (53)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
11.वल्लभदर्शनम् (54)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
12.सामान्यदर्शनम् (55)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
13.रामानन्ददर्शनम् (57)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
(स)शास्त्रवर्ग (ऐच्छिक)										
14.व्याकरणशास्त्रम् (86)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
15.साहित्यशास्त्रम्(87)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
16.पुराणेतिहासः (88)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
17.धर्मशास्त्रम् (89)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	2	20	100	33
18.ज्योतिषशास्त्रम् (90)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	1	14	70	33
	प्रायोगिक		—	—	—	—	—		30	33
19.सामुद्रिकशास्त्रम् (91)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	1	14	70	33
	प्रायोगिक		—	—	—	—	—		30	33

